

# सीट लीविंग बाण्ड एवं ग्रामीण सेवा बाण्ड शपथ पत्र

(रु. 500 के नाम जूडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जावे)

(Proforma for only 1<sup>st</sup> Round of counselling, those want to participate in Next Round of Counselling)

- मैं (छात्र/छात्रा का नाम) .....  
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....  
निवासी— .....

इस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूं।

- मैं मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के म0प्र0 चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 (19 जून 2019 तक संबंधित) को भली भांति पढ़कर समझ लिया हूं।
- म0प्र0 के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में प्रथम चरण से आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश के समय ग्रामीण सेवा एवं सीट लीविंग बाण्ड का निष्पादन सम्यक रूप से स्टाम्पित शपथ पत्र पर किया जाना है।

## सीट लीविंग बॉण्ड

- मैं चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के उपरांत अध्ययनरत रहकर पाठ्यक्रम पूर्ण करूंगा/करूंगी।
- यह कि, मेरे द्वारा राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के निर्देशों में विनिर्दिष्ट समय सीमा के पश्चात् एवं पाठ्यक्रम पूर्ण होने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में सीट से त्याग पत्र दिए जाने अथवा मेरा निष्कासन किये जाने की स्थिति में, मैं संबंधित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्वशासी समिति को सीट लीविंग बांड राशि ₹0.10,00,000/- (रु0. दस लाख) भुगतान करने का वचन देता हूं / देती हूं।

## ग्रामीण सेवा बॉण्ड

- मैं चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर विहित अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी/करूंगा।
- गैर सेवारत अभ्यर्थी –ग्रामीण सेवा की विहित अवधि स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम हेतु एक वर्ष होगी एवं सेवा न करने की स्थिति में डिग्री पाठ्यक्रम हेतु ₹0.10 लाख शासन को भुगतान करने का वचन देती/देता हूं।

अथवा

सेवारत अभ्यर्थी— ग्रामीण सेवा की विहित अवधि स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम हेतु पॉच वर्ष होगी एवं सेवा न करने की स्थिति में डिग्री पाठ्यक्रम हेतु ₹ 0.30 लाख शासन को भुगतान करने का वचन देती / देता हूँ।

### सत्यापन

मैं वचन देता हूँ कि अगले चरण की काउंसिलिंग में रिएलोकेट नहीं होने की स्थिति में—

- 1 गैर सेवारत अभ्यर्थियों के लिए— ग्रामीण सेवा बॉण्ड जो ₹. 10 लाख निर्धारित है का 0.5 प्रतिशत अर्थात् ₹. 5000/- मात्र के नाम जूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र निष्पादित करूँगा।

अथवा

सेवारत अभ्यर्थियों के लिए— ग्रामीण सेवा बॉण्ड जो ₹. 30 लाख निर्धारित है का 0.5 प्रतिशत अर्थात् ₹. 15000/- मात्र के नाम जूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र निष्पादित करूँगा।

- 2 सीट लीविंग बाण्ड समस्त पाठ्यक्रमों एवं अभ्यर्थियों हेतु ₹. 10 लाख हैं, स्टाम्पित शपथ पत्र सीट लीविंग बाण्ड हेतु ₹. 5 हजार (₹. 10 लाख का 0.5 प्रतिशत) के नाम जूडिशियल स्टाम्प पर सत्यापित करूँगा।

यह कि ग्रामीण सेवा बाण्ड एवं सीट लीविंग बाण्ड निर्धारित राशि पर स्टाम्पित शपथ पत्र समय—सीमा में प्रस्तुत ना करने की स्थिति में इस चिकित्सा महाविद्यालय से मेरा प्रवेश अधिष्ठाता द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह (हस्ताक्षर, नाम, पता, मोबाइल नम्बर)

1.

2.